



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20271

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1118/2026

उमा शंकर यादव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. सर्वप्रथम, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है। इस याचिका में दिनांक 27.04.1995 के आदेश को चुनौती दी गई थी; अधिवक्ता महोदय ने यह याचिका वापस लेते हुए, इसे पुनः नए सिरे से दायर करने की अनुमति (स्वतंत्रता) भी मांगी है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका को विधिवत रूप से तैयार (गठित) नहीं किया गया है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपर्युक्त अनुमति के साथ, इस रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”